

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक – ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/वी-1003/19/

दिनांक –

आदेश

श्री प्रेम प्रकाश नर्स-2, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर को दिनांक 20.04.2019 से 29.04.2019 तक कुल 10 दिवस विदेश भ्रमण (मलेशिया) जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वाछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं रवैच्छक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. विदेश में किसी भी राष्ट्रविरोधी/अवैधानिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे।



(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर

क्रमांक – ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/वी-1003/19/430

दिनांक:- 22-04-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेछवा सीकर।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. ✓ प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर